अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
अल्पसंख्यक मामलात् एवं वक्फ विभाग

7310, Food Building, Government Secretariat, Jaipur, Rajasthan
Tel. No. 0141-2385660 / 0141-2926427 Email :- dsmaraj@gmail.com

क्रमांक: प. 18(2)अल्प.वक्फ/2020/RK/00486 जयपुर, दिनांक : 31 .07.2020

संशोधित आदेश

प्रमुख शासन सचिव, निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग के पत्रांक 366 दिनांक 23.05.2011 द्वारा जारी अनुप्रति योजना संचालन नियम 2011 के बिन्दु संख्या–6 को निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है :–

क्र. सं.	वर्तमान में संचालित नियम	संशोधित नियम
1	बिन्दु संख्या–06 आवेदन की समय सीमा :– योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों को समयबद्ध तरीके से निस्तारण हेतु निम्नानुसार समय सीमा में अभ्यार्थी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा – i. प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के दिनांक से तीस दिन तक अभ्यार्थी द्वारा मूल आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। वर्ष 2011 में प्रथम बार योजंना लागू होने के कारण यह अवधि 30 जून, 2011 तक बढाई जाती है। ii. मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित होने के दिनांक से तीस दिन तक अभ्यार्थी द्वितीय किश्त हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा। iii. साक्षात्कार का परिणाम घोषित होने के दिनांक से तीस दिन तक तृतीय/अन्तिम किश्त हेतु अभ्यार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा। निर्धारित समय सीमा के पश्चात् आवेदन करने पर. शिथिलता निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग के स्तर पर ही दी जावेगी। जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में प्राप्त आवेदन पत्रों का एक माह में निस्तारण किया जायेगा।	आवेदन प्राप्ति एवं निस्तारण की समय सीमा :– अभ्यर्थी द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के उत्तीर्ण होने/शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने के छः माह की अवधि में आवेदन पत्र सम्बधित जिले (अभ्यर्थी का गृह जिला) के जिलाधिकारी को ऑन लाईन ही किया जावेगा। जिलाधिकारी द्वारा आवेदन पत्र ऑन लाईन परीक्षणोपरांत नियमानुसार पूर्ण एवं पात्र पाये जाने पर आवेदन पत्र ऑन लाईन किये जाने की दिनांक से दो माह की अवधि में ऑन लाईन स्वीकृति जारी कर ऑन लाईन ही अभ्यर्थी के बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जावेगा। आवेदन पत्र छः माह की अवधि के पश्चात् 12 माह तक की अवधि में प्रस्तुत करने पर जिलाधिकारी विलम्ब के कारण सहित शिथिलता हेतु प्रकरण निदेशालय को भिजवाया जायेगा। आयुक्त/निदेशक द्वारा ऐसे प्रकरणों में शिथिलता दी जावेगी। उक्त अवधि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर शिथिलता का प्रावधान लागू नही होगा।

उक्त संशोधन माननीय मंत्री महोदय से अनुमोदित है एवं वित्त (व्यय–2) विभाग की आई.डी. संख्या–102003278 दिनांक 24.07.2020 द्वारा सहमति प्राप्त कर ली गई है।

(रजनी सी. सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. समस्त जिला कलक्टर मार्फत निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग को उनकी आई.डी. संख्या 102003278 दिनांक 24.07.2020 के संदर्भ में।
8. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी, निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मार्फत निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग,राजस्थान,जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

(मोहम्मद उसामा)
शासन सहायक सचिव

Scanned with CamScanner